

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या : 46/2018

बद्री बाई पत्नि रामकुंवार जाति माली निवासी गोपालपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां
सत्यमेव जयते...वादी

♠ बनाम ♠

1. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)
2. जेनम बेगम पत्नि अब्दुल गफूर जाति मुसलमान निवासी मांगरोल जिला बारां

....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91 आर0टी0एक्ट0 1955

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादी : श्री अजित कुमार जैन

दायरा दिनांक: 06.06.2018

निर्णय दिनांक : 06.06.2018

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम गोपालपुरा की आराजी हाल खाता संख्या 56 खसरा नं0 241 रकबा 1.60 है0 में वादनी के पति का नाम रामकुंवार के स्थान पर कंवरलाल दर्ज हो रहा है, जबकि मुताबिक वादनी वादपत्र एवं छाया प्रति आईडी वादनी, आधार कार्ड वादनी, राशनकार्ड, व बैंक पास बुक व ग्राम गोपालपुरा की जमाबंदी चौसाला सम्वत 2070-73 के खाता संख्या 56 व 57 में वादनी के पति का नाम रामकुंवार दर्ज हो रहा है।

वाद पत्र की पुष्टि पटवारी हल्का एवं तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) द्वारा की गई है इस प्रकार वाद पत्र संलग्न दस्तावेजात रिपोर्ट पटवारी, अनुशंषा लैण्ड होल्डर तहसीलदार मांगरोल जो प्रतिवादी है यह भली प्रकार सिद्ध है कि वाद पत्र के अनुसार वादनी के पति का सहीनाम रामकुंवार पुत्र तेजा होना चाहिए।

अतः ग्राम गोपालपुरा की आराजी हाल खाता संख्या 56 खसरा नं0 241 रकबा 1.60 है0 में वादनी का नाम बद्रीबाई पत्नि कंवरलाल माली हजफ कर बद्रीबाई पत्नि रामकुंवार माली निवासी गोपालपुरा इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार मांगरोल तदनुसार पालना करें।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प ईश्वरपुरा